



राज्य निर्वाचन आयोग
बिहार
STATE ELECTION COMMISSION,
BIHAR

पत्र संख्या-प0नि0 30-17/2024 1790
प्रेषक,

विशेष कार्य पदाधिकारी,
राज्य निर्वाचन आयोग, बिहार।

सेवा में,

जिला पदाधिकारी-सह-
जिला निर्वाचन पदाधिकारी (पंचायत),
कैमूर।

पटना, दिनांक-10.04.24

विषय :- अविश्वास प्रस्ताव पारित होने के फलस्वरूप रिक्त पद पर निर्वाचन कराने हेतु प्रेषित प्रस्ताव में वांछित कागजात उपलब्ध कराने के संबंध में।

प्रसंग:- आपका पत्रांक 222 दिनांक 23.01.2024, पत्रांक 668 दिनांक 25.03.2024 एवं पत्रांक 588 दिनांक 13.03.2024

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में सूचित करना है कि प्रासंगिक पत्र द्वारा अविश्वास प्रस्ताव पारित होने के फलस्वरूप रिक्त पद पर निर्वाचन कराने हेतु आयोग को प्रतिवेदन/प्रस्ताव प्रेषित किये गये हैं। जिनके समीक्षोपरान्त प्रतिवेदन में निम्न कागजात उपलब्ध नहीं है, जिनके आभाव में रिक्त पद पर निर्वाचन की तिथि निर्धारित करने में कठिनाई हो रही है :-

1. प्रखंड चैनपुर के प्रमुख एवं उप प्रमुख के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव बैठक संबंधी प्रतिवेदन में साक्ष्य/कागजात संलग्न नहीं
2. प्रखंड रामगढ़ ग्राम कचहरी महुआर के उप सरपंच के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव बैठक संबंधी प्रतिवेदन में तामिला संलग्न नहीं है।
3. प्रखंड रामगढ़ ग्राम पंचायत नोनार के उप मुखिया के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव बैठक संबंधी प्रतिवेदन में साक्ष्य/कागजात संलग्न नहीं है।

उक्त परिप्रेक्ष्य में अनुरोध है कि उक्त वांछित कागजात पत्र प्राप्ति से दो दिनों के अन्दर उपलब्ध कराना सुनिश्चित की जाय। ताकि संदर्भित रिक्त पद पर निर्वाचन कराने हेतु तिथि निर्धारित की जा सके।

विश्वासभाजन
10/4/24

विशेष कार्य पदाधिकारी।

3.4.24